संलग्नक-2.2 A

फाइल नं० .....

दिनांक ...9/12/10... संख्या:- /III(2)/10-18(प्रा0सी0)/2009

प्रेषक,

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक: 19 अक्टूबर, 2010

विषय:- जनपद अल्मोड़ा में चमड़खान-कनौली-सैलापानी मोटर मार्ग के नवनिर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, कुमायूँ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी के पत्र सं0:- 9614/505 सा0-कु0/10 दिनांक 26-09-2010 के द्वारा जनपद अल्मोड़ा में चमड़खान-कनौली-सैलापानी मोटर मार्ग, लम्बाई 8.00 कि0मी0 के नवनिर्माण पर प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रथम चरण के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आगणन, जिसमें प्रक्रियात्मक कार्य यथा विस्तृत आगणन का गठन, वन भूमि हस्तान्तरण, भू-अधिग्रहण, यूटीलिटी शिफ्टिंग, मृदा परीक्षण, भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट, कन्सलटैन्सी आदि मदों, के लिये आंकलित की गई लागत रु 100.00 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि रु 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ अस्सी हजार मात्र) पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में रू0 0.10 लाख (रु दस हजार मात्र) को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 में व्यय करने की, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0:- 1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2009 दिनांक 07 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

4- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत मार्ग है, स्वीकृत मार्ग से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

5- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

7- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उसके विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

महिमा

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रानीखेत

संलग्नक – 2.2 B

(5) (20)

8– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–06–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आमंत्रण गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9– स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

10– इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सड़कें –आयोजनागत –800–अन्य व्यय–05 राज्य सेक्टर– 02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नाम डाला जायेगा।

11– यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– 435/XXVII(2)/2010 दि0 14 अक्टूबर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महिमा)
अनु सचिव

संख्या– 6229 (1)/III(2)/10–19(प्रा0आ0)/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओकराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, जनपद अल्मोड़ा।
4. मुख्य अभियन्ता, कुमायूं क्षेत्र, लो.नि.वि., अल्मोड़ा।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जनपद अल्मोड़ा/देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा।
9. लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव

प्रमाण पत्र 5/1AE

दिनांक 9-12-10

प्रतिलिपि निम्न को कार्यवाही हेतु

(1) अर्थिक गार्ड फाइल
(2) AEI
(3) Sri N. S. Rawat J.E
(4) बजट लिपिक
(5) J.E (T)

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रानीखेत

9-12-10

संलग्नक 2.2C

परिशिष्ठ
(देखिय नियम–6)
राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग–1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

1		**परियोजना विवरण**	
	A.	अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का विवरण –	जनपद अल्मोड़ा में चमड़खान–कनोली–सैलापानी मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई – 8.000 किमी. आरक्षित वन भूमि शून्य है0 सिविल एवं सोयम भूमि 0.150है0 वन पंचायत– 0.248है0
	B.	1.50.000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप/डिजिटल मैप	संलग्न है।
	C.	परियोजना की लागत–	100.80 लाख।
	D.	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य–	स्थानीय जनता को यातायात की सुविधा हेतु।
	E.	लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)–	संलग्न है।
	F.	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना हैं–	निर्माण कार्य से स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा।
2		कुल आपेक्षित भूमि उद्देश्यवार विवरण–	आरक्षित वनभूमि: – राज्य वन भूमि: 0.150 है0 वन पंचायत भूमि: 0.248है0 कुल भूमि: 0.398 है0
3		परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण यदि कोई हैं–	आवश्यकता नहीं।
	A.	परिवारों की संख्या–	आवश्यकता नहीं।
	B.	अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या–	आवश्यकता नहीं।
	C.	पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)–	आवश्यकता नहीं।
4		क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक हैं। (हाँ/नहीं)	नहीं।
5		प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की बचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)	सभी प्रमाण–पत्र प्रस्ताव पर संलग्न है। वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
6		निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।	संलग्न है।

दिनांक– 02.12.2014

स्थान– रानीखेत

(सतीश चन्द्र आर्य)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत